23 3/18

वादपत्र/प्रार्थनापत्र वाद जाँच पेश हुआ मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादपत्र / प्रार्थना पत्र की नकलें प्रतिवादीगण/अप्रार्थी को जरिये सम्मन मार्फत [illegible] वास्ते तामील व जवाब पेश किये जाने हेतु [illegible]
पत्रावली दिनांक ....24/4/18..... को पेश हो

तारीख 23/3/18

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

156/18

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के० आर० यादव, R.A.S.

प्रकरण संख्या 74 / 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

लीला देवी w/o प्रेमचन्द खटीक वगैरह

निवासी लालोडिया खुर्द — प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

प्रेमचन्द s/o माधु खटीक वगैरह

निवासी लालोडिया खुर्द — विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री प्रकाशचन्द रैगर

अभिभाषक, प्रार्थीगण

दिनांक 15/6/18

निर्णय

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम लालोडिया खुर्द तहसील शाहपुरा / ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 2021/1009 रकबा 0.156, 1517 रकबा 0.286, 2022/1518 रकबा 0.058 कुल किता 3 रकबा 0.47 हैक्टयर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम लालोडिया खुर्द संवत 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा लालोडिया खुर्द मे स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 3 रकबा 0.47 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 100/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के० आर० यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा / ——— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

Scanned by CamScanner